



भारतीय इतिहास में महिलायें

□ डॉ० मीरा पाल

आर्यों से पहले सिन्धु समाज में मातृ सत्तात्मक समाज था। सम्पत्ति का उत्तराधिकार कन्याओं को मिलता था। वैदिक काल महिलाओं की स्थिति का स्वर्णिम युग था। वे आत्म विकास शिक्षा, विवाह एवं सम्पत्ति आदि के विषयों में प्रायः पुरुषों के समकक्ष थीं। 'पत्नी' के रूप में वो 'लक्ष्मी' उच्चता की प्रतीक थी। ऋग्वेद में पत्नी को ही घर माना गया है। महाभारत में कहा गया है कि पत्नी के बिना घर नहीं होता। पूर्व मीमांसा के अनुसार पति - पत्नी दोनों सम्पत्ति के स्वामी होते हैं।

इस वैदिक युग में महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी होता था, जो जीवन भर पढ़न - पाठन में लगा रहता है। इन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा जाता था। अपाला, गार्गी, घोषा, सिकता, विश्ववतारा, गार्गी, अत्रेयी आदि उस समय की विदुषी दार्शनिक थीं। महिलायें धार्मिक सम्मेलनों, समागमों आदि में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेती थीं और कोई भी धार्मिक संस्कार, यज्ञ आदि बिना महिलाओं की उपस्थिति के सम्पन्न नहीं होता था। अविवाहित कन्याएँ पर्याप्त स्वतंत्र थीं। वे समाज में स्वच्छन्द रूप से विचरण करती थीं और विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थीं। उन्हें वर चुनने का अधिकार था। पितृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था के बाद भी सम्पत्ति पर पति - पत्नी का संयुक्त अधिकार होता था।

वैदिक युग के बाद 600 ई० पू० से 300 ई० पू० का कालखण्ड महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के क्षरण का लाल था। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि समाज में प्रचलित हो गयी थी। महिलाओं की स्थिति घर, परिवार तथा पति तक ही सीमित हो गई थी। मौर्यकालीन समाज में कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' की रचना की। कौटिल्य के स्त्रीधन के बारे में अपने विचार थे। स्त्रीधन दो प्रकार के होते थे - (1) वह धन जो स्त्री के नाम से कहीं जमा किये जाते थे तथा उनकी समय कम से कम 2000 तक होनी चाहिए थी उसे 'वृत्ति' कहा जाता था। (2) जो धन गहने

और जेवर के रूप में होते थे, वे अबाध्य धन कहलाते थे।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महिला का भी जिक्र नहीं किया गया है। उस समय समाज में महिलाओं को आर्थिक सामाजिक स्वतन्त्रता नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्हें कुछ वैधानिक अधिकारों का विधान था, लेकिन पूर्वकाली गतिशीलता को समाप्त कर दिया गया था। उन्हें अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। गुप्तकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में तो सुधार हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। मुगलकाल तथा सल्तनत काल आते-आते महिलाओं की स्थिति निरन्तर दयनीय होती गई। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, बाल हत्या, अशिक्षा, महिलाओं में पूर्ण व्याप्त हो गई थी।

इस काल में महिला सम्मान नहीं, उपमोग की वस्तु हो गई थी। भक्ति आन्दोलन की बयार अवश्य महिला स्थिति को कुछ भयभूत किया। महिलाओं की स्थिति तमाम कुरीतियों के चलते हुए नारकीय हो गई थी। परिवर्तन अवश्यमावी था। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय से लेकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द, एनी बेसेन्ट आदि अनेक समाज सुधारकों द्वारा महिला प्रगति के क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान हुए। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक अधिकारों के लिए संगठित प्रयास करना तथा महिलाओं

के प्रति समाज के पूर्वाग्रह पर आधारित .ष्टिकोण को पक्षपात रहित बनाना था। स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा, औद्योगिकरण, नगदीकरण और नवीन विचारधारा के कारण महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती गई। समाज की आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों में योगदान देने का अधिकार भी महिलाओं को प्राप्त हो गया था। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशासन, समाज कल्याण, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में महिलायें अग्रणी भूमिका में हैं। आज आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलम्बन ने उनको आत्मविश्वास, कार्यक्षमता और मानसिक स्तर को बढ़ा दिया है। परिवार में उनकी स्थिति याचिका की न होकर प्रबंधक की है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, प्रेम नारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, बाणी विनायक।
2. सामाजिक विचारधारा एवं सामाजिक विचारक, डॉ० गणेश पाण्डेय, अरुणा पाण्डेय।
3. कुरुक्षेत्र।
4. योजना।
5. प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास के० सी० वर्मा।
6. प्राचीन भारत का इतिहास, श्रीमती, डी० ए० झा।
7. ऐतिहासिक निबन्ध, प्रताप सिंह।
